क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 1248/NGT-176/OA-176/2023 दिनांक 28/10/2023

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: In compliance of Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Principal Bench, New Delhi Order dated 21.07.2023 in OA No-290/2023 Shubham Jadia Versus State of U.P.

Respected Sir,

With reference to the above subject mentioned above the compliance report of Hon'ble National Green Tribunal order dated 21.07.2023 in OA No-290/2023 Shubham Jadia Versus State of U.P. report is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

Enclosure: Report.

Yours Sincerely

(Vikas Mishra)
Regional Officer

Copy to:

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
3. Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 290 OF 2023

IN THE MATTER OF:

Shubham Jadia ...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh ...Respondent

INDEX

S.No.	Description	Pg.No.
1	Status Report in Compliance of Hon'ble National Green Tribunal's order dated 21-07-2023 in OA 290/2023	1-2
2	**Annexure I** – Show Cause Notice dated 27.10.2023	3-4

FILED BY

(Vikas Mishra)
Regional Officer, UPPCB
Ghaziabad

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 290/2023

In the matter of:

Shubham Jadia ...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh ...Respondent

STATUS REPORT ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD WITH RESPECT TO ORDER DATED 21.07.2023.

IT IS MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That, the instant matter was taken up by this Hon'ble Tribunal on basis of an application filed with regards to unauthorized/illegal use of Diesel Generator Sets located and operated on the roof top.
2. Hon'ble National Green Tribunal passed order dated 21.07.2023, relevant operative part of the said order reads as under: -

"3. It is further submitted in para 13 that the Promoters of said project have also stated that in view of letter dated 13.06.2012 of Ghaziabad Development Authority, the Aditya Mega City Project was handed over to the residents on 30.06.2012 and the onus of facility management, common areas, DG sets among other maintenance does not lie in their purview after that.

4. During the course of hearing, learned Counsel for the respondent has submitted that enormous actions have been initiated with regard to the penalty at the unit at present, and sought a short time to submit the

Santosh (CAEE)

response. Let the same be filed and further clarifying on remedial actions/technical measures to be taken to remove defect as given in para 10 of the Committee report within three weeks by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF..."

Compliance: -

That in compliance of Hon'ble National Green Tribunal order dated 21.07.2023 U.P. Pollution Control Board has issued a Show Cause Notice dated 27.10.2023 under section 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981 for restraining of operation along with show cause for imposing Environmental Compensation of Rs. 2,85,31,250/- (Rs Two Crore Eighty-Five Lakhs Thirty-One Thousand Two Hundred Fifty only) as per Central Pollution Control Board guidelines. (Annexure-I).

The report in the said matter may kindly be taken on record.

(N.K. Pandey)
Asst. Env. Engineer
U.P. Pollution Control Board,
Ghaziabad.

(Kunwar Santosh Kumar)
Asst. Env. Engineer
U.P. Pollution Control Board,
Ghaziabad.

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H02399 /C-1/वायु/जी–724/का0ब0नो0/2023 **Date:** 27/10/2023

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स आदित्या मेगा सिटी (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि0),
प्लॉट नं0–सी0जी0एच0–3, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम,
गाजियाबाद।

यह कि मैसर्स आदित्या मेगा सिटी (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि0), प्लॉट नं0–सी0जी0एच0–3, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद जो कि एक व्यवसायिक गतिविधियां, मल्टी फ्लैक्स, फूड कोर्ट एवं शापिंग माल से सम्बन्धित कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0–290/2023 शुभम जाडिया बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 12.04.2023 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.06.2023 को इकाई मैसर्स आदित्या मेगा सिटी (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि0), प्लॉट नं0–सी0जी0एच0–3, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परियोजना इकाई को संचालन हेतु राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 29.08.2011 द्वारा सशर्त सहमति जल एवं वायु वैधता अवधि दिनांक 31.12.2012 तक प्राप्त थी। वर्तमान में परियोजना को सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। परियोजना को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 454/एन0जी0टी0–176/2023 दिनांक 17.06.2023 एवं पत्र संख्या 948/एन0जी0टी0–176/ओ0ए0 नं0–290/2023 दिनांक 06.09.2023 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसका प्रतिउत्तर परियोजना द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है।

यह कि मैसर्स आदित्या मेगा सिटी (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि0), प्लॉट नं0–सी0जी0एच0–3, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 का उल्लंघन कर आस–पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन इकाई मैसर्स आदित्या मेगा सिटी (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि0), प्लॉट नं0–सी0जी0एच0–3, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के विरूद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

1. यह कि क्यों न इकाई मैसर्स आदित्या मेगा सिटी (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि0), प्लॉट नं0–सी0जी0एच0–3, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न इकाई मैसर्स आदित्या मेगा सिटी (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि0), प्लॉट नं0–सी0जी0एच0–3, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

.........2/–

टी0सी0–12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत इकाई मैसर्स आदित्या मेगा सिटी (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि0), प्लॉट नं0–सी0जी0एच0–3, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के विरूद्ध मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के आधार पर दिनांक 05.10.2018 से दिनांक 04.10.2023 तक कुल 1826 डिफाल्टर दिवस हेतु रू0 2,85,31,250/– (रू0 दो करोड़ पिचासी लाख इकतीस हजार दो सो पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन कराते हुये आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1